

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलेक्टर टिब्बी

दिनांक :- 31.05.2024

क्रमांक :- शिडर / 2024 / 435

प्रेषित : - तहसीलदार (भू.अ.)  
टिब्बी।

विषय :- प्रकरण संख्या 032/2024 कमला बनाम् दौलतराम अन्तर्गत  
धारा 251ए आर.टी.ए. में पारित निर्णय दिनांक 31.05.2024 की  
पालना करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि प्रार्थीया कमला पत्नी रामलाल जाति  
जाट निवासी चक नम्बर 4 आर.पी. डबलीकला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ द्वारा  
इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.ए. प्रस्तुत करने पर प्रकरण में  
दिनांक 31.05.2024 को निर्णय पारित किया गया।

इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 की कृषि  
भूमि चक नम्बर 4 एम.एस.टी.-एस.एम. रहित के पत्थर नम्बर 188/344(22) किला  
नम्बर 15 व 14 में दक्षिण दिशा की तरफ पूर्व से पश्चिम की तरफ प्रत्येक किला में 0.  
013 हेक्टर चौड़ा व प्रत्येक बीघा लम्बा रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में  
गैर मुमकिन रास्ता का अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व  
रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।



(स्वाति गुप्ता)  
उपखण्ड अधिकारी एवम्  
पदेन सहायक कलेक्टर  
टिब्बी